

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना।
श्रम अधीक्षक, मधेपुरा ।

पटना, दिनांक:-

30.3.17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी 2230011030103)के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय संशोधित स्वीकृत्यादेश संख्या-1249 दिनांक 29.03.17 के आलोक में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विमुक्त कराये गये/कराये जानेवाले बाल श्रमिकों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त ₹ 3000/-प्रति बाल श्रमिक की दर से कुल 13 बाल श्रमिकों हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की संख्या	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01) ₹ 2300/- राशन एवं ₹ 500/-वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	दवा भण्डार इकाई (21 02) विमुक्त के समय दवा हेतु- ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	आहार/पथ्य (21 03) विमुक्त के समय भोजन/नास्ता हेतु ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	कुल योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप श्रमायुक्त, पटना	10	28000	1000	1000	30000	उप श्रमायुक्त, पटना के पत्रांक-564 दि.-10.03.17 के आलोक में 10 जुलाई 16 के उपरांत विमुक्त 10 बाल श्रमिकों के लिए।
2	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	3	8400	300	300	9000	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-93 दि.-21.3.17 के आलोक में 10 जुलाई 16 के उपरांत विमुक्त 03 बाल श्रमिकों के लिए।
	कुल योग	13	36400	1300	1300	39000	

कुल आवंटित राशि ₹ 39,000 (₹ उन्चालीस हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को नियमानुसार जाँच कर किया जाय। आवंटित राशि को उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिक को प्रदान किया जाय जिन्हें पूर्व में यह राशि प्रदान नहीं की गयी हो ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत अविलंब उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,



(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 195 पटना, दिनांक 30-3-17
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/3/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 195 पटना, दिनांक 30-3-17
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी /*संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.प्रे.सं.99(श्रम पक्ष) दि.-29.3.17 के आलोक में/बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।

20/3/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 195 पटना, दिनांक 30-3-17
प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/3/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

*स्पीड
पोस्ट